



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-650-कार्य-चौदह/पाकालि/2018-3 केबी-95/2008

दिनांक 20.2.2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० शासन के पत्र सं०-100/चौबीस-पी-3-2018 दिनांक 17-01-2018 में निहित आदेशों के अनुपालन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित परियोजनाओं हेतु एतद्वारा निम्नवत् व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

- (1) 33 के०वी० तक की लाईनों एवं सम्बन्धित उपकरणों के शिफ्टिंग का कार्य एन०एच०ए०आई० द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० के अनुमोदित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स के माध्यम से कराया जा सकेगा।
- (2) जो कार्य एन०एच०ए०आई० द्वारा सम्पादित किये जायेंगे उसमें 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज उ०प्र०पा०का०लि० को एन०एच०ए०आई० द्वारा देय होगा।
- (3) उपरोक्त प्रस्ताव सशर्त होगा कि एन०एच०ए०आई० अपने शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्यों पर सुपरविजन चार्ज अधिकतम 05 प्रतिशत तक उ०प्र०पा०का०लि० से चार्ज करेगा।
- (4) जो कार्य उ०प्र०पा०का०लि० स्वयं करेगा, उसमें सुपरविजन चार्ज यथावत् 15 प्रतिशत रहेगा।

अध्यक्ष

संख्या-650-कार्य/चौदह/पाकालि/2018, तददिनांक :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ को उनके पत्र सं०-100/चौबीस-पी-3-2018 दिनांक 17-01-2018 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा/केस्को-कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वितरण/वित्त/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org में "आडर्स" एवं "राइट टू इनफार्मेशन" के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
E(20)2/18
(हेमन्त सिंह भण्डारी)
उप सचिव (कार्य)